श्रीमान्,

प्रार्थी श्रीमति हंसा रावत द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि वर्तमान में 2069-2072 ग्राम नीमगढ़ के खा.सं. 197, 425, 426, 196; 199, 423 में दर्ज सहखातेदार के नाम केशरी देवी बेवा दाल्ह इगा वल्द जोरा जमीन के स्थान पर श्री देवी जोशी हमारी, केशरी देवी बेवा दाल्ह इगा वल्द जोरा जमीन के स्थान पर नाम आज भी यथावत ही चला आ रहा है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी के खाता 705 में उक्त खातेदारों के नाम नाकोलाड प्योंत हो जाने पर शेष सहखातेदारों के नाम नक स्वीकृति का अमल किया गया था।

प्राप्त प्रार्थना पत्र की वर्तमान जमाबन्दी एवं पुराने राजस्व रिकार्ड से मौका पर पाया गया कि वर्तमान जमाबन्दी के खा.सं. 345 में ना.स. 136 दि. 15/4/86 से श्री देवी ना.स. 141 दि. 15/4/86 से श्री जोशी हमारी के नाकोलाड प्योंती दाखिल का अमल किया गया है। परन्तु अगली रोस्टर जमाबन्दी में उक्त नामान्तरण के अमल को वर्तमान में (197, 425, 426, 196) में यथावत ही चला आ गया जो वर्तमान खा.सं. 2069-72 नीमगढ़ 73 में केशरी देवी बेवा दाल्ह (ना.स. 136 दि. 15/4/86) इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी के खा.सं. 73 में केशरी देवी बेवा दाल्ह इगा वल्द जोरा (ना.स. 139 दि. 15/4/86) के नाकोलाड प्योंती दाखिल का अमल डाला गया परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में सम्वत् 2069-72 के खा.सं. 199 में उक्त सह खातेदारों के नाम इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी के खा.सं. 705 में बोमा इगा पि जोरा (ना.स. 139 दि. 15/4/86) के नाकोलाड प्योंती दाखिल का अमल डाला गया जबकि श्री जोशी देवी (ना.स. 142 दि. 15/4/86) के नाकोलाड प्योंती दाखिल का अमल उक्त सह खातेदारों के नाम गया था परन्तु अगली रोस्टर जमाबन्दी के अमल में छूटे के कारण उक्त सह खातेदारों के नाम जमाबन्दी नीमगढ़ सम्वत् 2069-72 के खा.सं. 423 में यथावत ही चला आ रहा है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

अतः ग्राम की वर्तमान जमाबन्दी के खा.सं. 345 में ना.स. 136, 141 के आधार पर वर्तमान खा.सं. 197, 425, 426, 196 (3) वर्तमान जमाबन्दी के खा.सं. 73 में ना.स. 136, 139 के आधार पर वर्तमान खा.सं. 197 (3) वर्तमान जमाबन्दी के खा.सं. 705 ना.स. 139, 142 के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी के खा.सं. 423 में सम्बन्धित नाकोलाड खातेदारों के नाम हटाया जाकर शेष खातेदारों के नाम अंकन रखना उचित होगा।

नीमगढ़
दि. 29/8/17

रिपोर्ट पटवारी एवं ट्रेस के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार सम्बन्धित नाकोलाड खातेदारों के स्थान पर शेष खातेदारों का अंकन किया जाना आदेशित की रिपोर्ट सादर प्रेषित।

रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी खाता सं. 423 में सम्बन्धित नाकोलाड खातेदारों के नाम हटाया कर शेष खातेदारों के नाम अंकन करने की स्वीकृति दी जाती है। शेष अंकन जमाबन्दी बरकरार है।

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.25 15:32:06 IST
Reason: SelfAttested